Seventeenth Series, Vol. XXV No.10

Wednesday, August 2, 2023
Sravana 11, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 10, Wednesday, August 2, 2023/ Sravana 11, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 181 and 182	5-13
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 183 to 200	14-60
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	61-714

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 715-718

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions 719

Member-wise Index to Unstarred Questions 720-726

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions 727

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 728

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, August 2, 2023/ Sravana 11, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**Shri P.V. Midhun Reddy** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. CHAIRPERSON: Question No. 181, Shri Guman Singh Damor Ji.

… (*Interruptions*)

11.00½ hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri A. Raja and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

(Q. 181)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वस्त्र मंत्री जी एवं वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats and let the House run.

… (*Interruptions*)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय रतलाम में, जहाँ पर लगभग 4 हजार एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध है, वहाँ पर पीएम-मित्र पार्क की स्थापना करेंगे? … (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : माननीय सभापति जी, हमारे सीनियर मेम्बर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जब पीएम मित्र पार्क की कल्पना की गई और इसके साथ ही, पूरे देश में जब इसका प्रपोजल भेजा गया, तो पूरे देश के 12 राज्यों की ओर से हमें प्रपोजल मिला।… (व्यवधान) इनमें से सात राज्यों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया। गति-शक्ति मॉडल के माध्यम से, पूरे इको-सिस्टम से जो काम करने वाली जगह है, यह जो प्रस्ताव है, उसमें 51 परसेंट योगदान स्टेट गवर्नमेंट का है।… (व्यवधान) उन्होंने धार, रतलाम आदि चार जगहों के लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन उनमें से धार

को पसन्द किया गया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में एवं श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलकर वहाँ उसका एमओयू भी साइन किया गया है।… (व्यवधान) यहाँ पर एक एकड़ जगह में, एक साथ कई सारे लोग हैंडलूम, हैंडी-क्राफ्ट, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, इस पार्क की परिकल्पना की गई है।… (व्यवधान) यह मेगा प्रोजेक्ट 4,445 करोड़ रुपए का है। इसमें बारह राज्यों ने प्रपोजल दिये हैं, जिनमें से सात राज्यों के प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर लिये हैं।… (व्यवधान)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : माननीय सभापति महोदय, जनजातीय क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा बनाने का काम होता है और वेजिटेबल कलर्स से उनकी डिज़ाइन बनायी जाती है।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? … (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल पूछा है। आदिवासी क्षेत्र हो या पूरे देश के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की तरह, हैंडलूम, हैंडी-क्राफ्ट सेक्टर, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत है, ये एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स हैं। जब देश में जी-20 समिट चल रहा है, हमारे यहाँ विज़िटर्स आ रहे हैं, जहाँ माननीय सदस्य वेज़िटेबल डाईज़ की बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ नैचुरल कलर्स से बनने वाले कपड़े हैं, जिनकी बहुत डिमांड है।… (व्यवधान) माननीय सदस्य ने रतलाम के बारे में जो बात कही है, वहाँ ट्राइब्स के लिए रंगाई यानी डाईंग कक्षा के लिए उनके बाजू के जिले- निमाड़ में हम लोगों ने एक सेन्टर खोला है, वहाँ पर हैंडलूम, हैंडी-क्राफ्ट का कलस्टर है।… (व्यवधान) उसके माध्यम से वहाँ उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई है।… (व्यवधान) इसके लिए पहचान-पत्र है, जो आर्टिज़न्स को दिए जाते हैं, वे आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं।… (व्यवधान) इसके बाद, मार्केट लिंकेज, रॉ-मैटेरिअल सप्लाई और नये-नये वस्त्र बनाने के लिए उनको रॉ-मैटेरिअल की बहुत सारी वेरायटीज मिल जाएं, इसके लिए सपोर्ट किया जाता है।… (व्यवधान) बड़ा वर्किंग शेड, सोलर सिस्टम से चलने वाले चरखे आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं और इससे संबंधित ट्रेनिंग भी दी

जाती है।... (व्यवधान) इसके लिए मास्टर ट्रेनर होते हैं। इसमें भी हम लोगों ने एक सुविधा रखी है। यदि कोई पद्मश्री विजेता हैं और वे अपनी कला, किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं, तो सीखने वाले को 300 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 45 दिनों तक मिलेंगे, इसके साथ ही, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।... (व्यवधान) सिखाने वाले को 1,000 रुपए मिलेंगे। ... (व्यवधान) समर्थ योजना के माध्यम से ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में हैंडलूम और हैंडिक्राफ्ट के जितने क्लस्टर्स हैं, सभी को जोड़ा गया है। ... (व्यवधान)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI: Hon. Chairperson Sir, in today's reply, the hon. Minister has said that India imports raw material used for manufacturing of silk yarn, woollen yarn, cotton yarn, etc. from the countries such as Bangladesh, China, Vietnam, Italy, etc. … (*Interruptions*)

So, through you, my question to the hon. Minister of Textiles is this. Has the Government considered supporting the domestic textile sector and handloom sector to make them self-sufficient? If so, what are the steps taken in this regard? Also, when can the import of raw material for the textile industry be phased out completely? Thank you. … (*Interruptions*)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न में पूछा है, इसमें हम कई प्रकार के इम्पोर्ट्स की परमीशन देते हैं। ... (व्यवधान) इसमें यार्न होता है, इसमें सिल्क यार्न भी होता है, फ्रैबिक भी होता है, अपैरल के लिए भी मंजूरी दी जाती है। ... (व्यवधान) होम फर्निशिंग की चीजों के लिए और टैक्निकल टैक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री जी ने पीएलआई स्कीम्ज वगैरह शुरू की हैं। ... (व्यवधान) पहले हमारा जो यार्न था, उसका बेस केवल कॉटन के ऊपर डिपेंड था। ... (व्यवधान) अब कई सारी चीजें हैं, जैसे होम फर्निशिंग की चीजें हैं, टैक्निकल टैक्सटाइल्स की चीजें हैं, इनमें कई प्रकार के यार्न्स मिक्स होकर बनते हैं। ... (व्यवधान)

ज्यादातर जो हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है, उनमें वैल्यू एडिशन करके हम लोग उनको आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबली सपोर्ट करने के लिए उनको भेजते हैं। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने सिल्क के बारे में भी सवाल किया है। … (व्यवधान) 'सिल्क समग्र – 2' स्कीम के माध्यम से इस दिशा में काम हो रहा है। … (व्यवधान) पहले होता था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, जहां पर लोग होते हैं, वहां सिल्क की एक ही क्रॉप होती है। … (व्यवधान) कर्नाटक में एक से ज्यादा क्रॉप्स होते थे। … (व्यवधान) 'सिल्क समग्र – 2' स्कीम के माध्यम से हमने एमओयू साइन किया है। … (व्यवधान) जापान के बाद हम सिल्क के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फैब्रिक हो सकते हैं। … (व्यवधान) कोपुनमंजाई, मलबेरी, एरी, मुंगा जैसे सिल्क को हम लोगों ने सेरीकल्चर विभाग से जोड़ दिया है। … (व्यवधान) उनका प्लांटेशन हो जाए, उनको सीड्स उपलब्ध कराए जाएं, उनका फैब्रिक बने और वह फैब्रिक एक्सपोर्ट तक जाए। … (व्यवधान) इस तरह पूरे वैल्यू चेन में हम लोग काम कर रहे हैं। … (व्यवधान) सरकारी पूरी कटिबद्धता से आने वाले समय में, आजादी के अमृतकाल में हम लोगों ने जो संकल्प किया है कि हम पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करेंगे। … (व्यवधान) टैक्सटाइल में जूट भी है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, मैन-मेड फाइबर भी है और टैक्निकल टैक्सटाइल है। … (व्यवधान) अत: सबको बढ़ावा देने के लिए जो चीज जरूरी है, उसे आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कदम उठाए हैं। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, इसमें पीएलआई स्कीम के माध्यम से ऑल-ओवर इंडिया से 64 प्रपोजल्ज आए। … (व्यवधान) 10,688 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम, जिसमें बड़े प्लेयर्स आकर यहां इनवेस्ट कर सकें। … (व्यवधान) 'पीएम मित्रा पार्क' में उनका इनवेस्टमेंट हो जाए, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए और वह काम शुरू हो चुका है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Question No. 182 – Shri Tirath Singh Rawat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please take your seats and let the Question Hour happen.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will give you a chance to talk. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

(Q. 182)

श्री तीरथ सिंह रावत : माननीय सभापति जी, उन्नत सुरक्षा उपायों के रूप में, रेलवे चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों रलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है। … (व्यवधान) लेकिन अभी तक यह काम आगे नहीं बढ़ा है, काम जस-का-तस है। … (व्यवधान) मैं इतना जरूर कहूंगा कि रेलवे स्टेशनों पर अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं। … (व्यवधान) रेलवे स्टेशंस सुसज्जित हुए हैं। … (व्यवधान) मैं यह कह सकता हूं कि बहुत जगहों पर, उत्तराखंड के अंदर भी नए रेलवे सिस्टम के तहत पहाड़ के अंदर चढ़ना और 17 सुरंगों से गुजरना आजाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। … (व्यवधान) दूसरी तरफ मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि राज्य से होकर चलने वाली कोई भी ट्रेन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित नहीं है। … (व्यवधान) हालांकि, इसमें कार्य जारी है । … (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या असामाजिक तत्वों/अपराधियों का पता लगाने के लिए सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सक्षम वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक तैयार होगा? … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही, एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है।… (व्यवधान) यह विषय उठा है कि सीसीटीवी के माध्यम से हम यात्रियों को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं।… (व्यवधान) माननीय सांसद जी ने पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं? … (व्यवधान) रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से उन इनिशिएटिव्स को माननीय सदन के सामने रखना चाहूँगा ।… (व्यवधान) सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलीजेंट यूनिट बन चुका है ।… (व्यवधान) इसके माध्यम से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकग्निशन, ए.आई, एक प्रॉपर सर्विलांस सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम बन सकता है, जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके।… (व्यवधान) उस जानकारी के आधार पर जो भी कोई दिक्कत आनी हो,

चाहे वह सिक्योरिटी से संबंधित कोई पॉइंट हो, उस पर तुरन्त एक्शन लिया जा सके। ... (व्यवधान) अब तक करीब 866 स्टेशन्स पर एक अच्छा सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है। ... (व्यवधान) महोदय, इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। ... (व्यवधान) पिछले समय में कई ऐसे उदाहरण हैं।... (व्यवधान) जैसे जो बच्चे कहीं से ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाये जा रहे थे, उनको बचाया गया।... (व्यवधान) कई जगह महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई।... (व्यवधान) कई जगह कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि असुविधा में थे, उनको सुविधा मिली।... (व्यवधान) बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए कि कुछ व्यक्ति यात्रियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया।... (व्यवधान) एक तरह से बहुत सारी जो दिक्कतें थीं, उनको सॉल्व किया गया है। ... (व्यवधान) जो विशेष प्रश्न माननीय सदस्य ने आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के बारे में पूछा है, उसके बारे में मैं आपके सामने स्पेसिफिक रखना चाहूँगा कि आईपी बेस्ड वीडियो कैमरा से, आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलीमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ... (व्यवधान) साइबर सिक्योरिटी वाले एलीमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन्स बनाए गए हैं।... (व्यवधान) इसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ... (व्यवधान) इसीलिए इस तरह के स्पेसिफिकेशन्स बनाए गए हैं कि किसी तरह की थ्रेट न हो। ... (व्यवधान) कोई ऐसा विदेशी, कोई देश इसको कोम्प्रोमाइज न कर सके।... (व्यवधान) इस सब भावनाओं के साथ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन्स किए गए हैं और सीसीटीवी का आगे प्रसार हो रहा है। ... (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस सवाल का जवाब दिया है।... (व्यवधान) मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि रक्सौल में यासीन भटकल ब्रदर्स पकड़े गए थे, जो नेपाल से आ रहे थे।... (व्यवधान) उसी प्रकार चाइना के दो व्यक्ति अभी पकड़े गए, जो बिना वीजा के भारत-नेपाल सीमा पार कर रहे थे।... (व्यवधान) भारत-नेपाल सीमा के क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन्स हैं, रक्सौल, भेलाई, आदापुर और छौड़ादानो, क्या इन स्टेशंस पर, जो कि एक किलोमीटर से भी

कम दूरी पर नेपाल सीमा पर हैं, वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए, भारत-नेपाल सीमा का ध्यान रखते हुए, क्या उन स्टेशन्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का विचार रेल मंत्रालय कर रहा है? … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : सभापति जी, माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, जो कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती स्टेशनों से संबंधित है। हमारे जितने भी स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुविधाएं हर जगह दी गई हैं।… (व्यवधान) चाहे वह भारत और बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे भारत और नेपाल की सीमा हो, हर क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी गई हैं। वहां आरपीएफ का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है।… (व्यवधान) कई जगह आलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कई जगहों पर राज्य की पुलिस के साथ विशेष कोऑर्डिनेशन करके, कई जगहों पर बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जहां अधिक चैलेंजेज हैं, वहां स्थिति को ध्यान में रखकर हमने विशेष सुविधाएं दी हैं।… (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो चार-पांच स्टेशनों के नाम बताए हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा। … (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि हर स्टेशन पर यात्री सुरक्षित रहें, यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा, यात्रियों के सामान की सुरक्षा और दूसरे क्राइम्स को प्रिवेंट करने की दृष्टि से रेलवे पूरी तरह से प्रयासरत है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, please take your seats. It is difficult to run the House like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Everybody is watching. The whole country is watching. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 183 to 200
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300)
(Page No. 13 to714)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 2 pm.

11.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

<u>14.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

<u>14.01 hrs</u>

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9842/17/23]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2023 जो 13 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.266(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9843/17/23]

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, मैं मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 34	सातवां सत्र, 2011

[Placed in Library, See No. LT 9844/17/23]

सोलहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 31	दूसरा सत्र, 2014
3.	विवरण संख्या 31	चौथा सत्र, 2015
4.	विवरण संख्या 27	पांचवां सत्र, 2015
5.	विवरण संख्या 27	नौवां सत्र, 2016
6.	विवरण संख्या 24	ग्यारहवां सत्र, 2017
7.	विवरण संख्या 20	पंद्रहवां सत्र, 2018

8.	विवरण संख्या 16	सत्रहवां सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 9845/17/23]

सत्रहवीं लोक सभा

9.	विवरण संख्या 19	पहला सत्र, 2019
10.	विवरण संख्या 15	दूसरा सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 9846/17/23]

11.	विवरण संख्या 14	तीसरा सत्र, 2020
12.	विवरण संख्या 14	चौथा सत्र, 2020

[Placed in Library, See No. LT 9847/17/23]

13.	विवरण संख्या 14	पांचवां सत्र, 2021
14.	विवरण संख्या 13	छठा सत्र, 2021
15.	विवरण संख्या 7	सातवां सत्र, 2021

[Placed in Library, See No. LT 9848/17/23]

16.	विवरण संख्या 7	आठवां सत्र, 2022
17.	विवरण संख्या 4	नौवां सत्र, 2022
18.	विवरण संख्या 2	दसवां सत्र, 2022
19.	विवरण संख्या 2	ग्यारहवां सत्र, 2023

[Placed in Library, See No. LT 9849/17/23]

… (व्यवधान)

<u>14.02 hrs</u>

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए और आप भी अपनी सीट पर बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति महोदय, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) संशोधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 24 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9850/17/23]

(2) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9851/17/23]

(3) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9852/17/23]

(4) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9853/17/23]

… (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ऱेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऱेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ.2868(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए रेल दावा अधिकरण की ई-रेल दावा अधिकरण प्रणाली पर मुकदमेबाजों अथवा आवेदनकर्ताओं अथवा दावाकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों अथवा पीड़ितों के अधिप्रमाणन अथवा ई 'जी नहीं' अथवा 'जी हॉ'-नो योर कस्टमर तथा रेल दावा अधिकरण के अन्य एकीकृत अनुप्रयोगों अथवा समाधानों सहित सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुमति को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9854/17/23]

(2) ऱेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दि डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर रेलवे साधारण (संशोधन) नियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.264(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 जो 21

जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.526(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9855/17/23]

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 196 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.2184(अ), जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रेल अधिनियम, 1989 – कतिपय मदों में रेल संरक्षा आयुक्त की संस्वीकृति प्रदान करने से छूट को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9856/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए, वेल में मत आइए। सदन को चलाने दीजिए। वे भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर चले जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह कोई तरीका नहीं है। पूरा देश हमें देख रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त 2023 को प्रात**:** ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

14.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 3, 2023/Sravana 12, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)